भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1392

दिनांक 11 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

भूमि अधिग्रहण अधिनियम

1392. श्री पी. वेलुसामीः

श्री के. षणमुग सुंदरमः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछली सरकार द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर भू-स्वामियों को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के संदर्भ में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा आपत्ति जताई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि मालिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य के चार गुना और शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य से दो गुना मुआवजा प्रदान करने वाले अधिनियम के प्रावधान, जोकि उद्योग, सड़क परिवहन और अन्य बुनियादी ढांचा उद्योग के विकास में बाधा नहीं होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार गुणक मूल्य लागू करने के बजाय केवल बाजार मुआवजा प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण कितनी लागत की सड़क परियोजनाएं रुकी हुई हैं और बिना किसी देरी के परियोजनाओं को गति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) विधेयक, 2013 को 2013 के अधिनियम संख्या 30 के रूप में 26 सितंबर, 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 01/01/2014 को प्रवृत्त हुआ। इस विधेयक में आधिकारिक संशोधन करते समय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय तथा सड़क परिवहन मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उचित परामर्श किया गया तथा उनकी टिप्पणियों/चिन्ताओं के बारे में विचार किया गया। विकास हेतु भूमि अधिग्रहण को सुकर बनाने तथा साथ

ही साथ किसानों तथा उन व्यक्तियों, जिनकी आजीविका अधिग्रहण की जा रही भूमि पर निर्भर है, की चिंताओं को अर्थपूर्ण तरीके से दूर करने के लिए इस अधिनियम का अधिनियमन किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकर की अधिकतम सीमा बाजार मूल्य से चार गुना है।

इसके अलावा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 सहित विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाता है।

भूमि अधिग्रहण समवर्ती विषय है और राज्य सरकारों को भी यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे अपने-अपने राज्यों में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 की प्रयोज्यता को ध्यान में रखकर इसमें संशोधन कर सकते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार के स्तर पर उक्त अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है।

भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रोकी गई सड़क परियोजनाओं की कुल लागत अथवा औद्योगिक, सड़क परिवहन और अन्य ढांचागत उद्योगों के विकास पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के ब्यौरों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

*****